निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 56 / 2025
दायरा दिनांकः–01.07.2025
निर्णय दिनांकः– 16.09.2025

उनवान

1. रउफ आयु 50 वर्ष पुत्र नन्नु जाति मुसलमान निवासी चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश कुमार भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या 38 की खसरा नंबर 22 रकबा 0.3794 है०, खसरा नंबर 23 रकबा 0.5311 है०, खसरा नंबर 26 रकबा 0.4426 है। कुल किता तीन रकबा 1. 3531 है० वाके माल चावलखेड़ी तहसील छबड़ा में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है, जो प्रार्थी के पिता के फोत होने से पूर्व पिता नन्नू पुत्र अली मोहम्मद की खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। प्रार्थी के पिता फोत होने के बाद जर्ये फोती इंतकाल से प्रार्थी मृतक पिता नन्नू के वारिस होने से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में पिता के स्थान पर दर्ज हुआ। फोती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किए प्रार्थी का बोलता नाम भूरिया पुत्र नन्नू दर्ज कर दिया, जो प्रार्थी का अशुद्ध नाम है। प्रार्थी का शुद्ध व वास्तविक नाम रउफ है, जो समस्त सरकारी दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड, बैंक खाता, जनआधार कार्ड व अन्य नकल जमाबंदी खाता संख्या 36 की खसरा नंबर 21/1, 24, 25 याके माल चावलखेड़ी तहसील छबड़ा में अंकित है। प्रार्थी का वास्तविक शुद्ध नाम रउफ है। प्रार्थी अशुद्ध बोलता नाम भूरिया के स्थान पर रउफ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 38 में अशुद्ध बोलता नाम भूरिया दर्ज होने से प्रार्थी समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का विकास नहीं कर पा रहा है। वादग्रस्त आराजी वाके माल चावलखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 38 नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2031–34 खाता संख्या 100 नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 36 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड बैंक पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रक आराजी है जो प्रार्थी के पिता के फोंत होने से पूर्व पिता नन्नू पुत्र अली मोहम्मद की खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। नन्नू के फोत होने के बाद फोती नामान्तरण से मृतक नन्नू के वारिसान के नाम दर्ज हुई। फोंती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी का बोलता नाम भूरिया पुत्र नन्नू दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रउफ है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, जन आधार कार्ड एवं अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 36 में प्रार्थी का सही नाम रउफ दर्ज है प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 38 में दर्ज भूरिया के स्थान पर रउफ दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है। प्रार्थी का नाम खाता संख्या 38 में नाम गलत होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओ का लाभ्ज्ञ नही मिल पा रहा है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का विकास नही कर पा रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम भूरिया के स्थान पर रउफ दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चावलखेडी की आराजी खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 22 रकबा 0.3794 है0 खसरा नम्बर 23 रकबा 0.5311 है0 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.4426 है0 कुल किता 3 रकबा 1.3531 है0 भूमि में खातेदार भूरिया पुत्र नन्नू हिस्सा 1/4 शहजाद पुत्र नन्नू हिस्सा 1/4 बतुल पत्नि नन्नू हिस्सा 1/4 जमील अहमद पुत्र रईस अहमद हिस्सा 1/16 जरीना पुत्री रईस अहमद हिस्सा 1/16 जहीर अहमद पुत्र रईस अहमद हिस्सा 1/16 अन्नो बी पत्नि रईस अहमद हिस्सा 1/16 जाति मुसलमान सा0देह के अनुसार ग्राम चावलखेडी में खातेदार भूरिया पुत्र नन्नू जाति मुसलमान की जानकारी ली गई। यहां उपस्थित ग्राम वासियों से भूरिया उर्फ रउफ के बारे में पुछा तो उपस्थित ग्राम वासियों ने बताया कि रउफ को भूरिया के नाम से बोला जाता है परन्तु भूरिया के दस्तावेजों में रउफ नाम है व सहखातेदारों ने भी भूरिया उर्फ रउफ पुत्र नन्नू दोनो नाम एक ही व्यक्ति के बताये गये। उपस्थित ग्राम वासियान व सह खातेदारों द्वारा भूरिया उर्फ रउफ दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 38 में भुरिया पुत्र नन्नू हिस्सा 1/4 सहखातेदारी में बतौर खातेदार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2031–34 खाता संख्या 100 में नन्नू पुत्र अली मोहम्मद बतौर खातेदार दर्ज है जमाबन्दी का कॉलम संख्या 16 में इन्तकाल संख्या 126 से मृतक नन्नू के बजाय रहीश, भूरिया, शहजाद, पुत्र नन्नू, बतुल बेवा नन्नू का नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

... होने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 36 में रउफ पुत्र नन्नू हिस्सा 1/6 सह खातेदारी में बतौर खातेदार दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम रउफ दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि प्रार्थी का खाता संख्या 38 में ही नाम गलत दर्ज है अन्य समस्त दस्तावेज व खाता संख्या 36 में प्रार्थी का सही नाम रउफ दर्ज है खाता संख्या 38 में फोती नामान्तरण खोलतें समय भूरया दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम रउफ है प्रार्थी अपना नाम भूरिया के स्थान पर रउफ दर्ज करवाना चाहता है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 36 के आधार पर प्रार्थी का सही नाम रउफ है प्रार्थी खाता संख्या 38 में अपना नाम भूरिया के स्थान पर रउफ दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम भूरिया के स्थान पर भूरिया उर्फ रउफ दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा के खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 22 रकबा 0.3794 है0 खसरा नम्बर 23 रकबा 0.5311 है0 खसरा नम्बर 26 रकबा 0.4426 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम भूरिया के स्थान पर भूरिया उर्फ रउफ दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)